संख्या– 226/एक–11–2020

प्रेषक,

संजय गोयल,
सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊ : दिनांक–06,अप्रैल, 2020

विषयः–कोविड–19 महामारी में राहत कार्यों हेतु नेहरू युवा केन्द्र संगठन के मानव संसाधनों से अपेक्षित सहयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– 247/पीएसएमएस/2020, दिनांक–03 अप्रैल, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के नेहरू युवा केन्द्र संगठन के मानव संसाधनों की सेवाएं कोविड–19 महामारी के राहत कार्यों में प्राप्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्तानुसार कृपया अपने जनपदों के सम्बन्धित नेहरू युवा केन्द्र संगठन के नोडल आफिसरों से सम्पर्क कर राहत कार्यों तथा लॉजिस्टिक सपोर्ट हेतु बड़ी संख्या में नेहरू युवा केन्द्र संगठन के मानव संसाधनों का सहयोग प्राप्त करने का कष्ट करें तथा यह भी सुनिश्चित करायें कि राहत कार्यों में लगाये गये उक्त मानव संसाधनों को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक सामग्री स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड–19 से बचाव के प्रोटोकॉल के अन्तर्गत राहत कार्यों में योगदान से पूर्व अनिवार्य रूप से उन्हें उपलब्ध करायी जाये।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(संजय गोयल)
सचिव

पत्र संख्या–226(1)/एक–11–2020/2019–20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह/कारागार/राजस्व, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार।
5. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलायुक्त/पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
7. श्री मनोज समादिया, राज्य निदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, 2/112, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. एकीकृत आपदा प्रबंधन डेटा सेन्टर, राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाईल।

(संजय गोयल)
सचिव

all letters navneet 103

Scanned with CamScanner

मुख्य सचिव कार्यालय, उ0प्र0 शासन

प्रथम तल, लोक भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ

दूरभाष संख्याः 0522–2289212, 2289296, फैक्स–2239283

email- csup@nic.in

अति महत्वपूर्ण

संख्याः 247 /पीएसएमएस/2020

दिनाँक : 03 अप्रैल, 2020

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में उच्चस्तरीय वीडियो कान्फ्रेंस में दिये गए निर्देशों के कम में निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कर सम्बन्धित विभागों को तत्काल अवगत कराया जाएः–

1– जिस प्रकार प्रदेश स्तर पर श्रमिक एवं मजदूरों के कल्याण, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, लॉकडाउन का इन्फोर्समेंट, राहत व्यवस्था, स्वच्छता सेनेटाइजेशन, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था, पशु चिकित्सा एवं आहार, पुलिस व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था एवं बैंक व्यवस्था तथा कृषि के सम्बन्ध में विभिन्न समितियां बनाई गई हैं, उसी प्रकार की समितियां प्रत्येक जिले में वरिष्ठ जिलास्तरीय अधिकारी की अध्यक्षता में बना ली जाएं ताकि विकेन्द्रीकृत रूप से सभी कार्य प्रभावी रूप से चल सकें। सम्बन्धित विभाग भी यथासम्भव विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी से मांग करने के स्थान पर इन समितियों के अध्यक्षों/जिलास्तरीय अधिकारी से प्राप्त करें।

2– प्रत्येक जिले में एक अत्याधुनिक एकीकृत कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाए, जिसमें पर्याप्त संख्या में लैण्डलाइन इन्टरनेट, कम्प्यूटर्स, टेलीविजन, आदि की व्यवस्था हो ताकि यह तत्परता से विभिन्न कार्यों का सम्पादन कर सके और सूचनाएं आदान–प्रदान कर सके। इसमें 03 शिफ्टों में सभी आवश्यक विभागों के अधिकारियों/कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए तथा ये 24X7 कियाशील रहें।

3– चिकित्सा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए आयुष विभाग, सेना एवं स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भी सूची बना ली जाए तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर जहां भी आवश्यक हो उनकी सेवाएं भी ली जाएं।

...2..

Scanned with CamScanner

4– किसी भी दशा में कोई सामूहिक धार्मिक आयोजनों, जिसमें भीड़ इकट्ठा हो, को न होने दिया जाए। धर्म गुरूओं के माध्यम से धार्मिक कार्य व्यक्तिगत रूप से अपने घरों में ही करने के लिए अपील की जाए।

5– लॉजिस्टिक सपोर्ट हेतु बड़ी संख्या में स्वयंसेवियों की आवश्यकता होगी। उन्हें भी युवक मंगल दल, नेहरू युवा केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन0सी0सी0 तथा एन0जी0ओ0 एवं शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से तैयार कर लिया जाए। उनका सहयोग "डोर स्टेप डिलीवरी" हेतु भी लिया जा सकता है।

6– आश्रय गृह (Shelter Homes) पक्के व पर्याप्त बड़े भवनों में ही बनाये जाएं ताकि समुचित व्यवस्था करना सुगम हो। प्राइमरी स्कूल जैसे छोटे भवनों में यथासम्भव इन्हें न बनाया जाए।

7– सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क का उपयोग किया जाना उचित होगा, परन्तु जनसामान्य द्वारा ऐसे मास्क का प्रयोग किया जाए जो धुलाई योग्य/पुनः उपयोग हेतु योग्य हों। ऐसे मास्क को महिला स्वयं सहायता समूहों, कारागारों एवं एम0एस0एम0ई0 इकाइयों द्वारा भी कम मूल्य पर बनाया जा सकता है।

8– सभी व्यक्तियों विशेषकर वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं एवं बच्चे, जो होम क्वारन्टाइन में हैं, को भोजन/खाद्यान्न एवं आवश्यक दवाएं मिलना सुनिश्चित किया जाए तथा जिनके राशनकार्ड नहीं बने हैं, उनके राशनकार्ड भी बनवा दिए जाएं।

9– इस महामारी की रोकथाम हेतु कई गैर सरकारी व्यक्ति एवं संस्थाएं भी बहुत अच्छा सहयोग प्रदान कर रही हैं। उनकी सूची एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण संकलित कर रखा जाए।

10– कृपया अपने मंडल/जिलों में अपनी पूरी टीम का उत्साह, सकारात्मक ऊर्जा, सद्भावना एवं टीम भावना का अधिकाधिक संचार करते हुए हम सभी मिलजुलकर कोविड–19 महामारी का उन्मूलन करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

Scanned with CamScanner

संख्याः 2476/ पीएसएमएस/2020 एवं तदिदनांक

प्रतिलिपि

1– अपर मुख्य सचिव, गृह/कारागार/राजस्व

2– प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री

3– प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद/युवा कल्याण/चिकित्सा स्वास्थ्य/ ग्राम्य विकास/परिवहन

4– पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0

5- प्रमुख सचिव आबकारी एवं निषेध

03.04.20

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

Scanned with CamScanner